पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

तलैया

गाँव - तलैया

पंचायत - डोजा

तहसील- दोवड़ा, जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

तलैया गाँव का परिचय

तलैया गाँव डोजा ग्राम पंचायत का राजस्व गाँव है। जो कि जिला कार्यालय डूंगरपुर से 29 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में बसा हुआ है। डोजा पंचायत में तीन गाँव है - तलैया, डोजा और राजगड़ी। तलैया गाँव से सटे हुए तीन गाँव है - कहारी, डोजा, डोलवर उपली, वलोता । तलैया एक राजस्व गाँव है, जिसमें 8 फलें है-

1. तलैया खास
2. सोरा लिमडी
3. कबड़ा घाटी
4. रामाघाटी
5. भराडिया फला
6. रातेडा
7. बिडगा फला
8. नई बस्ती

तलैया गाँव में शिलालेख 22 साल पुराना है यहाँ शिलालेख वर्ष 1998 में हो गया था और गाँव सभा का गठन भी वर्ष 1998 में कर दिया गया । अभी भी हर माह 14 तारीख को शिलालेख स्थल पर गाँव सभा होती है । डूंगरपुर जिला में सबसे पहला शिलालेख किया गया था । जिसके प्रमाण के रूप में आज भी गाँव के उच्च प्राथमिक स्कूल में पुराना शिलालेख खड़ा है । स्व. बी.डी. शर्मा और वागड़ मजदूर किसान संगठन के मानसिंह जी ने पेसा कानून पर एक अभियान चला कर दोवडा ब्लॉक में शिलालेख किये थे । गाँव के बुजुर्ग आदिवासी नेता सोमा भगत ने एक निजी संस्था को दिए इन्टरव्यू में बताया कि ***"पहला पत्थर हमने लगाया था... देश का पहला पत्थर।"*** मतलब कि देश में सबसे पहले जो शिलालेख किया गया वो डूंगरपुर में हमने किया था । तलैया गांव में जो शिलालेख लगाया गया, उसकी कहानी शुरू होती है यहां से कोई पचास किमी दूर गुजरात के अरावली जिले की सीमा पर स्थित कोड़ीयागुण गांव से। कोड़ियागुण गांव डूंगरपुर के बिछीवाड़ा ब्लॉक में पड़ता है। उस गांव में तब एक बांध बनाया जा रहा था। बांध के कारण आदिवासी गांव डूब क्षेत्र में आ गए थे। सोमाजी बताते हैं कि दिल्ली से 'कोई' आया था उस वक्त। वे नाम याद करने की भरसक कोशिश करते हैं लेकिन याद नहीं आता। उसने पेसा कानून की जानकारी गांववालों को दी थी। बताया था कि अब ग्रामसभा को गांव के कामों पर पूरा अख्तियार है और इस बात की घोषणा कर दी जानी चाहिए ताकि विकास परियोजनाओं की डोर गांववालों के हाथों में रहे।

सोमाजी के मुताबिक कोड़ीयागुण गांव से 1998 में आदिवासियों की एक विशाल यात्रा निकली थी। वही यात्रा जब गांव-गांव होते हुए तलैया पहुंची तो यहां बड़ा भारी जलसा हुआ। कोई पांच सौ लोग जमा हुए। सबकी मौजूदगी में यहां देश का पहला शिलालेख लगाया गया। सोमाजी को *डॉ. बीडी शर्मा* और *दिलीपचंद भूरिया* का नाम अच्छे से याद था। *ध्यान रहे कि केंद्र का पेसा कानून भूरिया कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही तैयार किया गया था। उस दिन तलैया में दिलीपचंद भूरिया भी आए थे। अकेले वे ही नहीं, देश भर से तमाम गणमान्य लोग, एक्टिविस्ट और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता 6 दिसंबर 1998 को यहां आए थे।*

(*तलैया गाँव के उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में लगा 21 वर्ष पुराना शिलालेख*)

आज तलैया गाँव में करीब 300 घर है जिनकी आबादी लगभग 1600 है । गाँव में एस. टी. और ओ.बी.सी. जाति के लोग निवास करते है । एस.टी. में रोत, परमार, कटारा, मीणा, अहारी और ओ.बी.सी. में कनिपा उप-जाति के लोग है । गाँव की पूरी जमीन 363 हेक्ट है जिसमें कृषि योग्य जमीन 300 बीघा, बेनामी जमीन 67.13 बीघा, चरागाह की जमीन 100 बीघा और जंगल 480 बीघा है । गाँव में 1 नदी बहती है जिसका नाम मोरन नदी है । तलैया गाँव में आज जंगल में ज्यादातर बबूल के पेड़ और कटीली झाड़ियाँ है । जंगल पर वन विभाग का कब्ज़ा हो गया है । संसाधनों के नाम पर गाँव में 3

मंदिर, 1 नाले, 3 एनिकट, 1 धनेला तालाब, 30 कुएं, 50 हैंडपंप, 25 निजी बोरवेल, 1 श्मशान घाट, 1 बस स्टैंड, 1 आंगनवाड़ी, 2 विद्यालय है ।

(http://www.mediavigil.com/investigation/patthargarhi-somaji-bhagat-the-man-who-installed-first-shilalekh/)

आवागमन की स्थिति

तलैया गाँव जाने के लिए डूंगरपुर जिला मुख्यालय से डोजा मोड़ तक रोडवेज बस मिल जाती है यह NH927A है जो आगे बांसवाडा जाता है । डोजा मोड़ से सवारी ऑटो, जीप तलैया गाँव जाने के लिए मिल जाती है, जहाँ से गाँव लगभग 4 किमी दूर है । जीप ऑटो नहीं मिलने पर लोग व्यक्तिगत साधन या पैदल ही गाँव तक जाते है । गाँव में 1 पक्की सड़क है जो गाँव के बीच से होकर निकलती है । गाँव के भीतर फलों में जाने के लिए 5 सी.सी. सड़क और कच्ची सड़के है । गाँव के मुख्य सड़क से प्राइवेट बस, ऑटो, जीप तथा निजी वाहन दूसरे गाँव में जाने के लिए मिल जाते है । घरेलू खरिदारी करने के लिए 5 किमी दूर आंतरी जाना पड़ता है जहाँ खाने पीने का सामान और कपडे मिल जाते है, मुख्य बाजार डूंगरपुर 29 किमी दूर जाना पड़ता है, जहां पर सभी प्रकार की घरेलू खरिदारी के अलावा शादी-ब्याह और त्यौहारों की खरिदारी की जाती है। डूंगरपुर आने के लिए डोजा मोड़ से बस या जीप मिल जाती है । गाँव में जाने के लिए वाहन चालक मनमाने तरीके से किराया वसूल करते है जो काफी ज्यादा होता है ।

स्वास्थय व शिक्षा

गाँव में 2 विद्यालय है - 1. प्राथमिक विद्यालय जो भेमाता फला में है, 2. उच्च प्राथमिक विद्यालय जो तलैया में मेन रोड पर है । प्राथमिक विद्यालय में 32 बच्चे है, जो मात्र 1 अध्यापक के सहारे चल रहा है । उच्च प्राथमिक विद्यालय में 300 बच्चे और 8 अध्यापक है । प्राथमिक स्कूल में छत की मरम्मत की आवश्यकता है क्योंकि बारिश में पानी टपकता है । स्कूल में खेल का मैदान तथा शौचालय की हालत जर्जर है । अध्यापको की कमी के कारण बच्चों का नामांकन भी कम है और शिक्षा का स्तर निम्न है । उच्च प्राथमिक विद्यालय में ही माँ-बाड़ी केंद्र चल रहा है । उच्च प्राथमिक विद्यालय की छत से पानी टपकता है और प्लास्टर गिर रहा है । दोनों विद्यालयों में पीने के शुद्ध पानी के लिए आर.ओ. नहीं लगा है । स्कूल के बाहर लगे हैंडपंप के पानी में फ्लोराइड आता है लेकिन अन्य कोई विकल्प ना होने पर बच्चे यही पानी पीते है । गाँव से बहुत ही कम छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाते है । उच्च शिक्षा के लिये गाँव से 29 किमी दूर डूंगरपुर शहर में आना पड़ता है । गाँव में 1 आंगनवाडी है जिसमे 15 बालक - 10 बालिकाये आ रही है । हर महीने द्वीतीय गुरुवार कों स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस मनाया जाता है ।

गाँव में कोई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है । उपस्वास्थ्य केन्द्र 2 किमी दूर डोजा में और सरकारी हॉस्पीटल गाँव से 07 किमी दूर आंतरी गाँव में है । हॉस्पीटल जाने के लिए टेम्पो या 108 की सुविधा है। लेकिन बहुत गंभीर मामलो में 108 मिल पाती है । बडा हॉस्पीटल 29 किमी दूर डूंगरपुर में है। पालतू जानवरों के इलाज के लिए पशु अस्पताल 07 किमी दूर आंतरी में है।

सरकारी योजनाएँ

गाँव के 200 घरों में बिजली की सुविधा है। गाँव में लगभग 190 इंदिरा आवास, 20 प्रधानमंत्री आवास लाभार्थी है तथा गाँव में कुल पेंशनधारी 92 है जिनमे 40 महिलाओं और 30 पुरुषों को वृद्धापेंशन मिलती है । 17 महिलाओं को विधवा पेंशन और 5 महिलाओं को एकलनारी पेंशन मिलती है । गाँव के 100 घरों को उज्जवला गैस योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन मिल चुका है।

कृषि और रोजगार की स्थिति

गाँव में कृषि योग्य जमीन 300.17 बीघा है । खेती में प्रमुखतया गेंहू, मक्का, उडद और चना की खेती की जाती है। लेकिन खेती में उगाया गया अनाज केवल चार या पांच माह खाने तक का ही हो पाता है। यहाँ के लोग रोजगार के लिए मनरेगा में काम और खेती करते है । नरेगा में गाँव की 85 प्रतिशत महिलाये जाती है क्योंकि गाँव के युवा काम के लिए दूसरे शहरों में जाते है । मनरेगा में भी पूरे 100 दिन काम नहीं मिलता है ना ही पूरी मजदूरी मिलती है । गाँव में काम नहीं मिलने पर लोग कड़िया मजदूरी करने के लिए डूंगरपुर,सागवाडा और बाँसवाड़ा जाते है और गुजरात में अहमदाबाद, मोडासा, हिम्मतनगर जाते है, जहां वे खेतों में तथा फेक्ट्री में काम करते है। तलैया गाँव से 2 लोग अलग अलग सरकारी विभागों (पशु अस्पताल और शिक्षा विभाग) में कर्मचारी है ।

सिंचाई की स्थिति

गाँव में पीने के पानी और सिंचाई के पानी का संकट है क्योंकि जल स्तर काफी नीचे चला गया है । हालांकि सिंचाई की सुविधा के लिए गाँव 1 मोरन नदी, 1 नाले, 3 एनिकट, 1 धनेला तालाब, 30 कुएं और 25 निजी बोरवेल है लेकिन मध्य ग्रीष्म ऋतु में सभी जल स्त्रोतों में पानी कम हो जाता है या अधिकतर सूख जाते है, एनिकटो की हालत ठीक है, 1 एनिकट में साल भर पानी रहता है तथा 2 एनिकट कम गहरे होने से पानी खत्म हो जाता है । बोरवेलों से काफी ज्यादा पानी खीच लेने से कुओं में पानी कम हो जाता है जिससे उन लोगों को समस्या हो जाती जिनके पास बोरवेल की सुविधा नहीं है । बोरवेल खुदवाने का यह आलम है की एक बोरवेल में यदि पानी नहीं आये तो दूसरा बोरवेल किया जाता है जिससे धन की भी बर्बादी होती है ।

तलैया गाँव की विभिन्न चिन्हित समस्याओं का विवरण निम्न् प्रकार है-

प्राकृतिक संसाधनों का विघटन

गाँव में जंगल की जमीन 480 बीघा है, जहां आज से 25 साल पहले सभी पहाड़ियाँ हरी-भरी थी और सागवान, आम, महुआ के पेड़ थे, वहां पर अब बबूल, कटीली झाड़िया और घास ही है । जंगल वन विभाग के कब्जे में जाने के बाद बर्बाद हो गया है । गाँव के लोगों ने जंगल पर सामुदायिक वन दावा की फाइल लगा राखी है । गाँव के पहाड़, बिलानाम, चारागाह पर वन विभाग का कब्ज़ा है । छोटी पहाडियों पर लोगो ने अपने खेत-घर बना लिए है । गाँव में बड़े पहाड़ है, इन पहाड़ो में खनन नहीं किया जाता है क्योंकि उनमे किसी भी प्रकार के खनिज के उपलब्धता की जानकारी नहीं है ।

आवागमन की समस्या

तलैया गाँव में 1 पक्की सड़क है जो डोजा बस स्टैंड के सामने से गुजरती हुई गाँव में आती है और गाँव के अंदर होती हुई डोल्वर उपली में चली जाती है । गाँव के भीतर फलों में जाने के लिए पक्की सड़क से निकलती हुई 5 सीसी सड़के और पगडण्डीयाँ है। डोजा मोड़ के बस स्टैंड से प्राइवेट बस, ऑटो, जीप तथा निजी वाहन दूसरे गाँव में जाने के लिए मिल जाते है । गाँव की पक्की सड़क सरकारी अधिकारीयों की उपेक्षा के चलते टूट गयी है । सीसी. सड़को से कम ऊंचाई की पहाडियों में ही जाया जा सकता है । खड्डों की वजह से अक्सर दुर्घटना की आशंका रहती है । गाँव के लोग निजी सवारी वाहन चालकों के मनमाने ढंग से किराया वसूलने से भी बहुत परेशान हो रहे है ।

भूमि व जल प्रबंधन की कमी

गाँव में अधिकतर लोगों को उनकी कब्जे की जमीन के खातेदारी हक और पट्टे नहीं मिले है और जिनको मिले है उनके पास भी पूरी जमीन का पट्टा नहीं है, खातेदारी में न्यूनतम कृषि भूमि दो बीघा और अधिकतम पांच बीघा है। पूरा गाँव पहाड़ों पर बसा है, उबड़-खाबड़ खेतों को समतलीकरण करने की आवश्यकता है । गाँव में कृषि व्यवस्था पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है असिंचित खेतों में नहरों की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण उनमें केवल बारिश की पानी से ही फसल की पैदावार हो पाती है । सिंचाई के लिए 1 नाले, 3 एनिकट, 1 धनेला तालाब, 30 कुएं है लेकिन मध्य ग्रीष्म ऋतु तक सभी जल स्त्रोतों में पानी कम हो जाता है या अधिकतर सूख जाते है । गाँव में 1 ही तालाब है लेकिन कीचड़ भर जाने और गहराई कम होने के कारण सालभर पानी नहीं रहता है। पहाड़ो से बहते बारिश के पानी को रोकने के लिये चेकडैम बनाये गये है । गाँव में भू-जल स्तर 200 फुट से नीचे है। गाँव में 1 नदी है लेकिन पानी नहीं मिल पाता है । जंगल की कुछ जमीन को लोगो ने कब्जे में लेकर सागवान के पेड़ लगा रखे है जिन्हें वें घर बनाने और ईधन के रूप में काम में लेते है । गाँव में 30 कुएं है, जिसमे से 20 तो वर्षभर सूखे ही रहते है और बाकि 10 कुओं में साल के जुलाई माह तक पानी खत्म हो जाता है। गाँव में 50 हेण्डपम्प है। जिसमें से 10 हैंडपंप पाइप में छेद और स्प्रिंग टूट जाने के कारण ख़राब हो गये है । बाकी

बचे हैंडपंप में साल के चार माह पानी नही रहता है, कुछ गर्मी के मौसम में सूख जाते है। चालू हेण्डपम्प और बोरवेल का पानी फ्लोराइड से दूषित है । गर्मी में ना तो पीने को पानी मिल पाता है ना ही सिंचाई का पानी मिल पाता है। वर्षा के जल को संरक्षित करने के विषय की ओर हाल फिलहाल गाँव के लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

पशुपालन संबंधित समस्या

गाँव में गाय, बैल, भैंस व बकरी पाली जाती है। चारे की कमी के कारण पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार न मिलने से गाय डेढ़ लीटर और भैस ढाई लीटर दूध देती है, इससे केवल घर के लिए ही दूध की आपूर्ति हो पाती है । चारे की कमी के साथ-साथ पशुओ की अच्छी नस्ल नहीं होना भी दूध कम देने का कारण है। गाँव में चरागाह की जमीन मात्र 100 बीघा है। चारागाह जमीन पहाड़ी पर होने के कारण और सिंचाई के पानी की कमी के कारण पशुओं के लिए प्र्याप्त मात्रा में चारा भी नहीं हो पाता है। जो भी चारा बारिश के माह में होता है वह केवल चार या पांच माह ही चल पाता है उसके पश्चात खरीद कर लाना पडता है। चारे की एक पुली या गटठर सात रूपये में खरिदते है ।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य का निम्न स्तर

गाँव में 300 घर है, लेकिन पढने वाले बच्चों के लिए केवल दो स्कूल है । प्राथमिक स्कूल में छत की मरम्मत की आवश्यकता है क्योंकि बारिश में पानी टपकता है । स्कूलों में खेल के मैदान तथा शौचालयों की हालत जर्जर है । अध्यापको की कमी के कारण बच्चों का नामांकन भी कम है और शिक्षा का स्तर निम्न स्तर है । उच्च प्राथमिक विद्यालय में ही माँ-बाड़ी केंद्र चल रहा है । उच्च प्राथमिक विद्यालय की छत से पानी टपकता है और प्लास्टर गिर रहा है । दोनों विद्यालयों में पीने के शुद्ध पानी के लिए आर.ओ. नहीं लगा है । स्कूल के बाहर लगे हैंडपंप के पानी में फ्लोराइड आता है लेकिन अन्य कोई विकल्प ना होने पर बच्चे यही पानी पीते है । प्राथमिक स्कूल में अध्यापको की कमी के कारण शिक्षा का स्तर निम्न है और बहुत ही कम छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाते है । उच्च शिक्षा के लिये गाँव से 29 किमी दूर डूंगरपुर शहर आना पड़ता है । उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ ही माँ-बाड़ी केंद्र संचालित हो रहा है । गाँव की 1 आंगनवाडी है, उसकी छत से बारिश का पानी अन्दर टपकता है और पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है, जिस कारण लोग अपने बच्चों को वहां कम भेजते है । 15 बालक - 10 बालिकाये आ रही है । गाँव में उपस्वास्थ्य केन्द्र या सरकारी दवाखाना नहीं है इसके लिए आंतरि गाँव में 07 किमी दूर जाना पड़ता है, बडा हॉस्पीटल गाँव से 29 किमी दूर डूंगरपुर शहर में है, जिसके लिये टेम्पो या 108 की सुविधा है।

कृषि एवं खाद्यान्न की स्थिति

तलैया गाँव में केवल बारिश के मौसम में ही मुख्य फसल उगा ली जाती है क्योंकि गर्मी के मौसम में पानी की कमी हो जाती है। हालाँकि वहाँ पर तालाब, कुआं, बोरवेल एनिकट है, लेकिन सभी जल-स्त्रोत

गर्मी आते आते सूख जाते है । ग्रीष्म ऋतू में जिन खेतों में फसल उग रही है वे कुआं व बोरवेल के पानी से सिंचित है। गाँव में भू-जल स्तर 200 फुट से भी नीचे चला गया है। वर्तमान में गाँव में लगे 50 हैंडपंप में से ज्यादातर तो खराब हो गये है और आधे से ज्यादा गर्मी में सूख जाते है । गाँव में सिंचाई के पानी की व्यवस्था के लिये करीब 30 कुऐं, 1 तालाब और 3 एनिकट है। लेकिन अधिकतर गर्मी के मौसम में सूख जाते है। *विचार करने योग्य बात यह है कि सिचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होने के बावजूद पानी की कमी है क्योंकि जमीनी सतह पर उपलब्ध पानी को सही और नियंत्रित तरीके से उपयोग नहीं लिया जा रहा है, मनमाने ढंग से भूमिगत जल बोरवेल से खीच लेने के कारण वर्तमान में जमीन में पानी इतना गहराई में चला गया है और ग्रीष्म ऋतू में पानी ख़त्म हो जाता है, पानी के अत्यधिक दोहन और पानी के संरक्षण के प्रति यही उदासीनता रही तो कुछ सालों बाद गाँव में पानी का स्तर और भी अधिक गहराई तक चला जाएगा। जिसके साथ गाँव में पीने तथा कृषि के लिए पानी का बड़ा संकट उत्पन्न होने वाला है ।* गाँव में गेहूँ, ग्वार, मक्का, उडद, तुहर, चने की खेती की जाती है, जो कि केवल आधे साल ही चल पाता है, खेती से होने वाला अनाज पर्याप्त नहीं होने के कारण खरीद कर लाना पड़ता है। जिसके लिये सरकारी उचित मूल्य की दूकान 2 किमी दूर है । राशन की दुकान पर केवल गेहूं मिलता है । गाँव में राशन की दुकान पर मिटटी का तेल देना बंद कर दिया गया है । राशन दुकान पर पॉस मशीन की भी समस्या रहती है और आस-पास के दूसरे गाँवों के लोग भी आते है, जिसके कारण काफी लम्बी लाइन राशन लेने के लिये लग जाती है।

आजिविका एवं रोजगार के साधनों की कमी

गाँव में रोजगार का मुख्य साधन मनरेगा और खेती है, अन्यथा मजदूरी एक मात्र आजीविका चलाने का साधन है । रोजगार की स्थिति भी काफी खराब है, गाँव के अधिकतर युवा गुजरात राज्य के अहमदाबाद, हिम्मतनगर, सूरत और मोडासा में मजदूरी करने के लिये जाते है। कुछ लोग पास के उदयपुर जिले में जाकर भी फेक्ट्री में काम करते है । अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और तकनीकी ज्ञान के अभाव में लोग के पास आजीविका का कोई अच्छा विकल्प नहीं है । गाँव में नरेगा पर काम मिलता है, जिसमें गाँव की महिलायें अधिक संख्या में जाती है तथा जो पुरुष यहां रह कर खेती करते है वे भी नरेगा में काम पर जाते है। वर्तमान में मनरेगा में जो मजदूरी दी जा रही है वह भी 100 रूपये से कम दी जाती है। कुछेक लोगों को काम करने के बाद मस्टरोल के रूपये नहीं मिले है। जिसके लिये जवाब मांगने पर बैंक खातों के स्थानान्तरण की बात कह कर टाल दिया जाता है।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं-

संसाधन	हालत	सम्भावना
जल नदी	गाँव में 1 नदी (मोरन नदी) बहती है । मोरन नदी में साल भर पानी बहता है	गाँववासियों के अनुसार यदि तालाब को गहरा करवा कर रिंगवाल बने तो ज्यादा

एनिकट तालाब कुआं हैण्डपम्प बोरवेल	लेकिन गर्मी में कम हो जाता है । 3 एनीकट बने हुए है तीनो की स्थिति अच्छी है लेकिन ऊंचाई कम होने के कारण पानी बारिश के समय ही रहता है । गाँव में सिंचाई और मवेशीयों को पानी पीने के लिये 1 धनेरा तालाब है लेकिन गर्मी समाप्त होने से पहले ही पानी सूख जाता है। ऐसी स्थिति में मवेशीयों के पीने के पानी की समस्या हो जाती है। गाँव में 25 निजी बोरवेल है । गर्मी में बोरेवेल में भी पानी कम हो जाता है। गाँव के कुएं और हैंडपंप आधे से ज्यादा सूखे है या पानी नहीं आता है, जो चालू है उनका पानी भी फ्लोराइड युक्त है।	समय तक पानी रह सकता है और सिचाई भी पूरी हो सकती है । पहाड़ो के तेज ढलान से बहते पानी के बहाव को चेकडैम की सहायता से धीमा किया जा सकता है जिससे मिटटी का कटाव नहीं होगा और तीनों एनीकट को गहरा किया जाये तो पानी पूरे साल मिल सकता है और जमीनी जल का स्तर भी ऊपर उठेगा । खेतों में सिंचाई के लिए पानी की सुविधा हो सकती है । तालाब में भी पानी अधिक समय तक रुक जाएगा और गाँव में गर्मियों में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है। गाँव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है। बंद हैंडपंप को चालू करवाना और गाँव में आर.ओ. प्लांट लगवाना ताकि फ्लोराइड मुक्त पेयजल मिल पाए । भूमिगत जल को बोरवेल की जगह कुओं से निकालना ताकि एकदम से भू-जल स्तर नीचे ना जाये ।
जमीन कृषि भूमि बिलानाम भूमि चरागाह जंगल	गाँव में अधिकतर उबड़-खाबड़, पथरीली जमीन और छोटी पहाड़ियों वाली जमीन है गाँव में कृषि भूमि 300.17 बीघा है और 67.13 बीघा बिलानाम जमीन है तथा जंगल की जमीन 480 बीघा है । गाँव में चारागाह की जमीन 100 बीघा है जिस पर केवल बरसात में होने वाली घास होती है जिसे चारे के रूप में लोग काट कर लाते हैं। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है। गाँव के सभी प्राकृतिक संसाधनों पर सरकार और वन विभाग का कब्ज़ा है ।	गाँव की उबड़-खाबड़ जमीनों को अपना खेत अपना काम योजना के तहत समतलीकरण करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। तालाब, एनिकट और नदी से पाईप लाइन की व्यवस्था करके सिंचाई के पानी की कमी पूरी हो सकती है । गाँव की बेकार पड़ी जमीन को गाँवसभा के अधीन करके उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है । खाली जमीन पर फलदार वृक्षारोपण भी किया जा सकता है। जिससे लोगों की आय के साधन बढ़ सकते हैं। वन भूमि को सामुदायिक करके गाँव सभा के अधीन करना और उसे

		पुनर्जीवित करके लघुवनोपज ले सकते है ।
सड़क कच्ची सड़क सी.सी. सड़क पक्की सड़क	गाँव की पक्की सड़क सरकारी अधिकारियों की उपेक्षा के चलते टूट गयी है । सीसी. सड़को से कम ऊंचाई की पहाडियों में ही जाया जा सकता है । खड्डों की वजह से अक्सर दुर्घटना की आशंका रहती है । गाँव के लोग निजी सवारी वाहन चालकों के मनमाने ढंग से किराया वसूलने से भी बहुत परेशान हो रहे है । कच्ची सड़क से लोगों को अपने घर जाने के लिए पगडण्डी है जिससे केवल पैदल ही जाया जा सकता है ।	गाँव की पक्की सड़क को पंचायत में गाँवसभा के दवारा प्रस्ताव में जुड़वाकर ठीक कराया जाये । यदि गाँव के सभी कच्चे रास्ते सी.सी. सड़क में बदले जाये और सी.सी. सड़को को चोड़ा करके पुनः बनाया जाये तो गाँव के भीतरी इलाके में आवागमन में सुविधा होगी ।
स्कूल	गाँव में 2 स्कूल है। स्कूलों की छत से प्लास्टर भी गिर रहा है और बारिश का पानी टपकता है, खेल का मैदान और शौचालय की स्थिति सही नहीं है । स्कूलों में अध्यापको की कमी है । जिस कारण स्कूलों में बच्चो का नामांकन भी कम होता है । अध्यापको की कमी के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है । पीने के लिए बच्चे फ्लोराइड का पानी पीने को बाध्य है । स्कूलों के अध्यापक भी इस समस्या कों जानते है लेकिन कोई कदम नहीं उठाते है ।	स्कूलों में छत के ऊपर चाइना मोजिक करवाकर और प्लास्टर करवा कर अच्छा बनाया जा सकता है। इसके अलावा स्कूल के शौचालय की भी मरम्मत करवाई जा सकती है। खेल के मैदान की बाउन्ड्री बना कर सुरक्षित किया जा सकता है । पीने के पानी के लिए छोटे आर.ओ. प्लांट को लगाया जा सकता है । अध्यापकों की नियुक्ति के लिए गाँवसभा में प्रस्ताव लिया गया है ।
आंगनबाड़ी केंद्र	गाँव में 1 आंगनबाड़ी केंद्र है लेकिन इसकी छत से बारिश के मौसम में पानी टपकता है और फर्श भी टूट गयी है ।	छत और फर्श की मरम्मत करवानी है ।
शमशान घाट	गाँव का शमशान घाट पूरी तरह से टूट चुका है, ना तो वहां पर टीनशेड है न ही चबूतरा है।	नए सिरे से निर्माण करवाना है और एक कमरा निर्माण कराना जिसमे लोग लकड़ी रख सके ।

गाँव सभा द्वारा चिन्हित मुख्य समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं वरीयता

क्र. सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक

1	**शिक्षा सम्बंधित समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में केवल 2 प्राथमिक स्कूल है, सभी विषयों के अध्यापक नहीं है । स्कूलों में पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है, छत से बारिश में पानी टपकता है और प्लास्टर भी गिर रहा है। स्कूल में खेल का मैदान और शौचालय की स्थिति सही नहीं है । स्कूलों में कक्षा कक्ष भी पूरे नहीं है ।	नियुक्त अध्यापको को समय पर आने के लिए पाबंद किया जाना चाहिये । अध्यापको की नियुक्ति होनी चाहिये । स्कूलों की छत की मरम्मत होनी चाहिये और पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था के लिए आर. ओ. प्लांट लगना चाहिये, नये कक्षा कक्ष बनने चाहिये । खेल का मैदान और छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय बने और उनमे पानी की सुविधा होनी चाहिये ।	तात्कालिक
2	**पेयजल की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में 30 कुएं और 50 हैंडपंप है लेकिन आधे से ज्यादा सूखे है या पानी नहीं आता है, गर्मी में बोरेवेल में भी पानी कम हो जाता है । हैण्डपंप के पाइप और स्प्रिंग ख़राब हो गयी है । गाँव का जलस्तर 200 फिट से नीचे चला गया है। जितने भी पेयजल के स्त्रोत है उनके पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत जयादा है जिस कारण लोगो को दातो और हड्डियों से सम्बंधित बीमारियाँ हो रही है ।	जो हैंडपंप ख़राब/बंद हो गये है उनकी मरम्मत करवाना । जिन हैंडपंप में पानी कम आने लगा है उन्हें गहरा करवाना और गाँव में आर.ओ. प्लांट लगवाना ताकि फ्लोराइड मुक्त पेयजल मिल पाए । गाँव में एनिकट और चेकडैम निर्माण करना और गाँव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है। इसके लिए गाँवसभा द्वारा बैठक में प्रस्ताव भी लिया गया है ।	**दीर्घकालिक**

3	**कृषि संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत /** सार्वजनिक	गाँव की कृषि योग्य उपलब्ध भूमि उबड़ खाबड़ पथरीली और पहाडियों की ढलान वाली है। सिंचाई की सुविधा भी नहीं है। सिंचाई के लिए नदी, तालाब, एनिकट, कुओं का पानी शुरूआती गर्मी के मौसम में ही सूख जाता है । बरसात का पानी गाँव में रोकने के लिए 3 एनिकट और 1 तालाब है लेकिन बोरवेल की संख्या अधिक होने के कारण पानी जल्दी ख़त्म हो जाता है ।	खेतों को गाँव सभा द्वारा प्रस्ताव लेकर अपना खेत-अपना काम योजना के अंतर्गत समतलीकरण, बारिश के पानी को रोकने के लिए खेतों की मेड़ बंदी तथा कच्चे चेक डैम का निर्माण। गाँव के नाले में पानी रोकने की योजना। घर और खेतों में पानी को रोकने के लिए टाके (पक्के खड्डे) बनवाना ।	**तात्कालिक**
4	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में पक्की सड़क सरकारी उपेक्षा के चलते टूट गयी है लेकिन ठीक नहीं करवाई जा रही है । सीसी. सडको की कमी है । ज्यादातर पगडंडीया ही है । रास्तो के अभाव में सबसे ज्यादा तकलीफ बुजुर्गो, महिलाओं और बच्चो को होती है । बीमार व्यक्ति को लाने ले-जाने में भी समस्या होती है ।	गाँवसभा कमेटियों के गठन के बाद जहां जहां रास्ते नहीं है वहां सड़क निर्माण के प्रस्ताव लिए गए हैं, कच्ची सड़क को सी.सी. सड़क में बदलना । सड़क किनारे नालियों की व्यवस्था और रोड लाइट की व्यवस्था करना । पगडंडीयों को चौड़ा करना ।	**तात्कालिक**
5	**सरकारी योजनाओं की सहीं क्रियान्विति ना होना - आवास निर्माण,**	**व्यक्तिगत**	गाँव में आवास योजना में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिन लोगों के आवास बन भी गए हैं उनमें से ज्यादातर लोगों का पूरा भुगतान नहीं हुआ है। गाँव में जिन लोगों को	गाँव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण हेतु आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही	**तात्कालिक**

	पेंशन और उसके भुगतान संबधी समस्या		आवास की बेहद जरूरत है उनके आवास गरीबी के कारण नहीं बने हैं साथ ही यह कारण दिया जाता है की जन गणना के दौरान उनका नाम उस लिस्ट में बी.पी.एल. की सूची में नहीं है । जो सक्षम लोग हैं उनके आवास बन गए हैं । पेंशन में समस्या यह है कि गाँव में सरकारी कागजातों में उम्र अलग-अलग होने से भी लोगों की पेंशन भी बंद है।	है उनको पेंशन योजना से जोड़ना । बंद पेंशन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना ।	
6	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	लोग कई पीढ़ियों से गाँव में बसे हैं लेकिन जितनी भूमि पर वह काबिज है उसकी खातेरदारी का हक उनको नहीं मिला है। सरकार की अघोषित नीतियों के कारण राजस्व विभाग ने खातेदारी हक देना बंद कर दिया है। जिसके कारण भविष्य में उनकी जमीन आसानी से छीन जाने का संकट खड़ा हो गया है।	काबिज भूमि पर सामूहिक दावा करना। पट्टे की जमीन जिसकी पैनल्टी राजस्व विभाग ने लेना बंद कर दिया है उसे कोर्ट में जमा करना क्योंकि पेनल्टी नहीं देने से पट्टा खारिज हो जाएगा और धारा 91 के अनुसार काबिज जमीन का नियमन कराना। गाँव सभा द्वारा सबकी फाइल तैयार करके एक साथ राजस्व विभाग में दावे का मुकदमा करना।	**दीर्घकालिक**
7	**जंगल पर सामुदायिक वन दावा नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	वर्तमान में गाँव के जंगल की जमीन 480 बीघा है। उसमे सागवान और बबूल और कटीली झाड़ियाँ है।	जमा करायी गयी फाइल की वर्तमान स्थिति का पता करना और उसकी पैरवी करना ।	

			जंगल की जमीन पर वन विभाग का कब्ज़ा है । जंगल पर वन दावा बहुत समय पहले से कर रखा है लेकिन अभी तक अधिकार नहीं मिला है ।		
8	**खाद्य सुरक्षा का पूरा लाभ नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	गाँव में राशन की दूकान नही है । अक्सर पॉस मशीन में फिंगरप्रिंट न मिलना या इन्टरनेट से कनेक्ट न होने की समस्या आती रहती है । अनाज में केवल गेहूँ दिया जाता है, शक्कर और केरोसिन त्यौहार पर मिलता है ।	राशन की दुकान गाँव में खोली जाये और राशन डीलर को पाबंद कर समय पर दुकान खोलने और पूरा राशन दिलवान और जिन लोगों को राशन नहीं मिल रहा है उनके नाम योजना में जुड़वाने के लिए गाँव सभा में प्रस्ताव लेना ।	**तात्कालिक**

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths **शक्तियां**	**W- Weakness** **कमजोरी**	**O- Opportunities** **अवसर**	**T- Threats** **चुनौतियां**
आवागमन - कच्चे रास्ते सी.सी. सड़क पक्की सड़कें	पक्की सड़क की सुविधा है, लेकिन टूटी हुई है। इसे ठीक कराने की मांग नहीं करना । कच्चे रास्ते को आर.सी.सी. नहीं करना।	रास्ते ठीक होने से गाँव में साधन आ जा सकते हैं जिससे छोटे मोटे व्यवसाय किए जा सकते हैं। लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी। रोड लाइट लगने से दुर्घटनाओ की संभावना कम हो जायेगी ।	गाँव सभा कमेटी का मजबूती से काम नहीं करना, पंचायत की उदासीनता और समस्या को लेकर अधिक से अधिक लोगो का गाँव सभा में नहीं आना ।
जल नदी तालाब एनिकट कुआं बोरवेल	गाँव में 1 नदी है, जिस पर 3 एनिकट भी बने है लेकिन गर्मी में पानी सूख जाने से संकट हो जाता है । कुओं को रिचार्ज करने की व्यवस्था नहीं करना। गाँव में जल की	पहाड़ो के तेज़ बहाव वाली ढलानों पर पक्के चेकडेम निर्माण, जल संरक्षण के लिए घरो के बाहर पक्की टंकी का निर्माण करवाना । बरसात के पानी को	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्ययोजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता। सरकारी योजना और मौसम पर

हैंड पंप	कमी ना हो इसके लिए गाँव के लोगों की जागरूकता में कमी। जल संरक्षण के बारे में गाँव वालों में जागरूकता न होना ।	योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए तो गाँव में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है जिससे सिचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता हैं। बोरवेल का उपयोग कम करके कुओ से पानी निकालना । ताकि जल स्तर एकदम से नीचे न जाये । गाँव सभा में इसके लिए प्रस्ताव लेना ।	अधिक निर्भर रहना ।
आजीविका के साधन	गाँव में रोजगार के साधन का अभाव। कृषि भूमि और कृषि उत्पादन की कमी। अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव। तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव । मनरेगा में पूरा भुगतान नहीं होना ना ही काम की नपती की जाती है ।	गाँव में खाली पड़ी जमीन और पहाड़ियों पर वृक्षारोपण, चारागाह का अच्छा प्रबंधन, अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन, सब्जी के खेती से आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं। घरेलु उद्योग भी किये जा सकते है। सरकार के द्वारा लघु उद्योग और अन्य कोई मशीनरी प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए ।	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन का अभाव। उन्नतशील बीज का अभाव। जमीन और पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी।
भूमि	गाँव की खाली पड़ी जमीन का प्रयोग नहीं होना। सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना। जमीन के पट्टे ना होना ।	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। गाँव की सार्वजनिक खाली पड़ी जमीन पर फलदार वृक्षारोपण करवाना।	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। सिंचाई का अभाव खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।

- **नजरिया नक्शा**

गाँवसभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -

प्रस्तावित कार्य	संख्या
चेकडैम निर्माण के संबंध में	16
तालाब निर्माण / गहरीकरण के सम्बन्ध में	4
पशुवाडा निर्माण के सम्बन्ध में	4
खेत समतलीकरण के सम्बन्ध में	19
खेत तलावडी के सम्बन्ध में	3
सार्वजानिक कुआं गहरीकरण मरम्मत	1

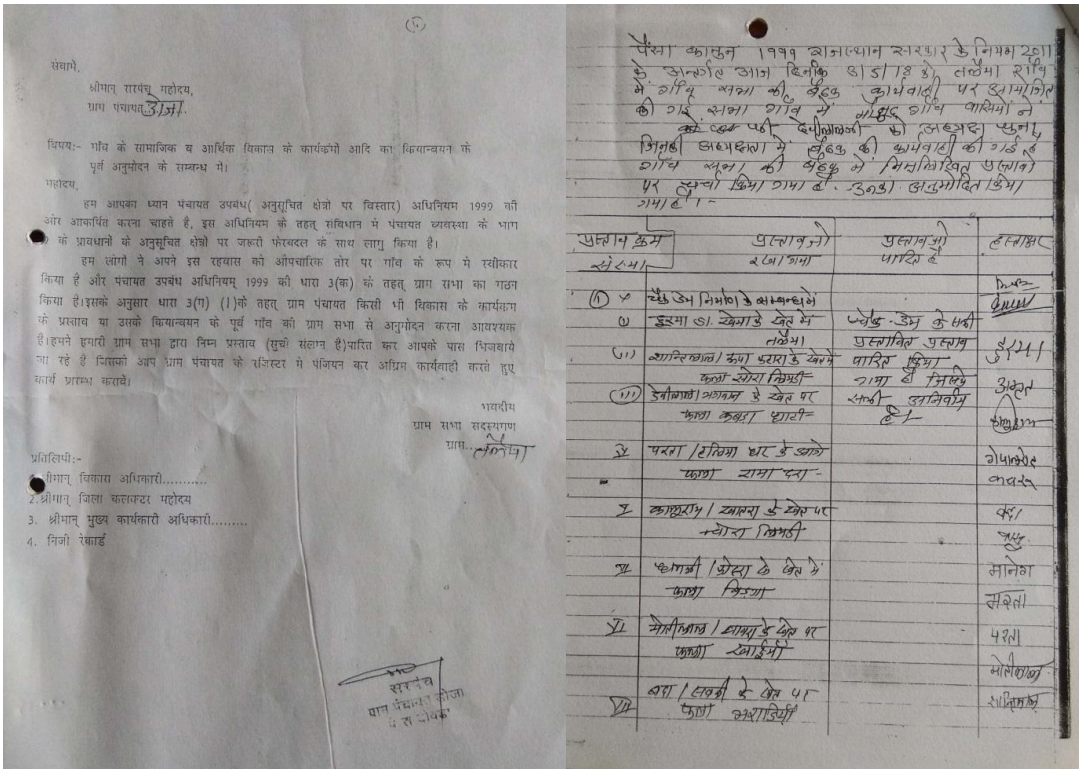

➢ गाँव विकास प्रस्ताव

सेवामें,

श्रीमान् सरपंच महोदय,

ग्राम पंचायत ऊंजा.

विषय:- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध(अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते है, इस अधिनियम के तहत् संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तोर पर गाँव के रूप मे स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम् 1999 की धारा 3(क) के तहत् ग्राम सभा का गठन किया है।इसके अनुसार धारा 3(ग) (1)के तहत् ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है।हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न हैं)पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर मे पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

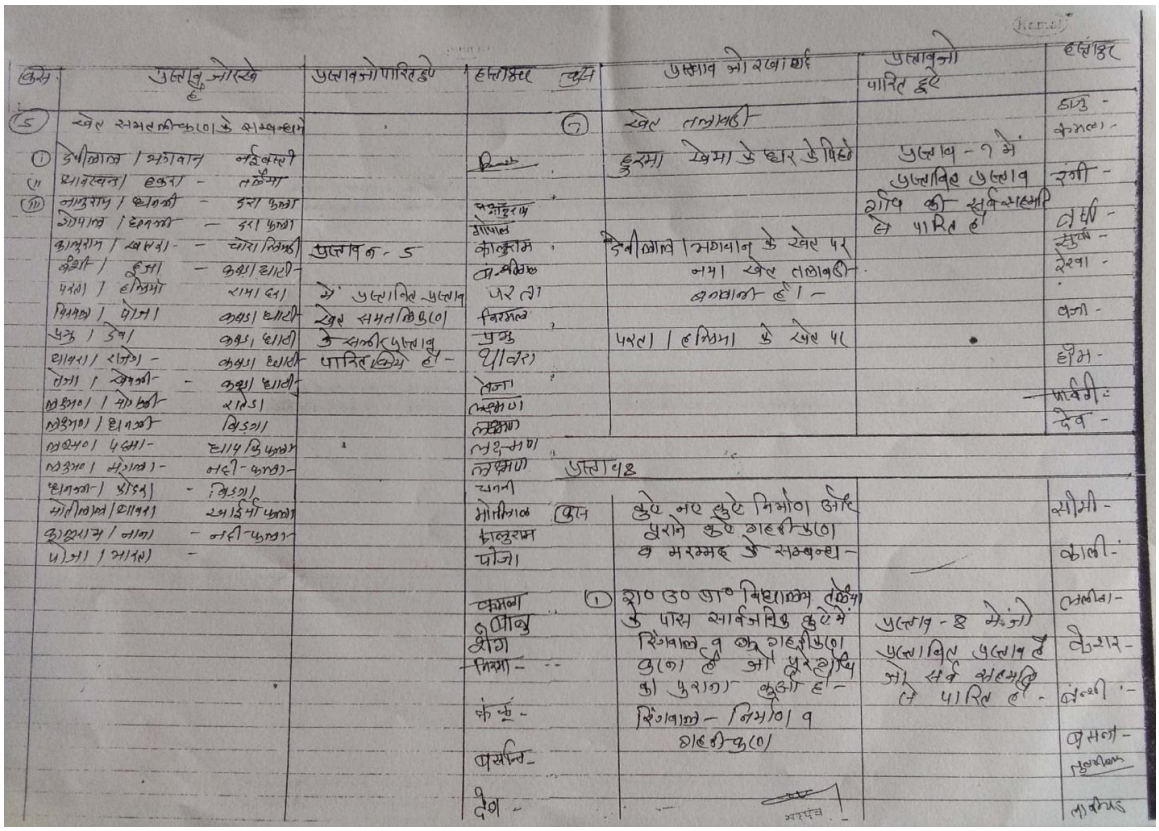

भवदीय

ग्राम सभा सदस्यगण

ग्राम...तलैया

प्रतिलिपी:-

1. श्रीमान् विकास अधिकारी...........
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय
3. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी.........
4. निजी रेकार्ड

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी)

1. देवीलाल रोत 7073792093
2. थावरचंद रोत 9119385814
3. नारायण 7357557152
4. ईश्वरलाल 9672565157